प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.11.23

थाना लोनी पुलिस द्वारा एक मो0सा0 पर सवार गैंगस्टर एक्ट के वांछित इनामिया 01 अपराधी से हुई मुठभेड़ मे अपराधी गोली लगने से हुआ घायल/ गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध शस्त्र, एंव मो0सा0 बरामद

आज दिनांक 22/11/2023 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान निठौरा अण्डर पास के पास से थाना लोनी पुलिस द्वारा अपराधी एवं थाना लोनी पुलिस में हुई मुठभेड़ के दौरान एक गैंगस्टर के अभियोग में वांछित, 25,000 रुपये का इनामी अपराधी सरताज पुत्र समून निवासी 20 फुटा रोड प्रेम नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष मुठभेड़ के दौरान पैर मे गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में घायल / गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से थाना लोनी पर गौकशी , गैंगस्टर के अभियोग दर्ज हैं।

बरामदगी का विवरण

1-एक मोटरसाइकल

2- 01 तमंचा

3- 02 कारतूस- (जिन्दा / खोखा)

गिरफ्तार करने वाली टीम

पुलिस टीम थाना लोनी गा0बाद

साइबर सेल पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम की संयुक्त टीम द्वारा कोरियर/बीमा पॉलिसी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश करते हुए तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में।

दिनांक 29-07-2023 को वादी श्री प्रभाष कुमार चौधरी द्वारा कोरियर/बीमा पॉलिसी कराने के नाम पर 1.65 करोड रूपये के हुए साइबर फ्रॉड के सम्बन्ध में थाना इन्द्रापुरम पर जुलाई माह मे अभियोग पंजीकृत कराया गया था उक्त प्रकरण में साइबर सेल व थाना इन्द्रापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 23/11/2023 को सर्विलान्स व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उक्त घटना को कारित करने वाले तीन साइबर अभियुक्तो को हिण्डन के किनारें वसुन्धरा सेक्टर-01 तिराहे के पास ऐलिवेटिड पुल के नीचें से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणो के पास से 27 ए.टी.एम कार्ड/क्रेडिट कार्ड, 02 चेक बुक IDFC FIRST बैंक, 01 लैपटॉप, 06 मोबाइल, 03 कार क्रमशः क्रेटा कार, आई -10 कार, टिगोर कार व नगद 2 लाख रूपये बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरणः– पूछताछ मे **अभियुक्त गौरव दुआ** ने बताया कि वह अपेक्स कन्सट्रक्शन साइट पर स्टोर मैनेजर का कार्य करता था जहाँ पर बहुत अच्छी आमंदनी नही थी, तभी उसकी मुलाकात सोनू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र सिंह से लगभग दो वर्ष पूर्व हुई थी। उसने बताया कि वह नोएडा सैक्टर 132 में काल सेन्टर चलाता है तथा मुझे उसमे कार्य करने के लिये कहा। उसके बाद वह मुझे अपने काल सेन्टर पर ले गया जहां पर सोनू मक्कड, रवि यादव, अरूण की एक टीम तथा दूसरी टीम मे मुकेश चौहान

कार्यरत था जिसके साथ मुझे कार्य करने हेतु कहा तथा तीसरी टीम मे ओमवीर सिंह चौहान,सूरज गुप्ता, तथा तीन-चार लडकियां अज्ञात कार्य कर रही थी। सोनू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र सिंह द्वारा मुझे बताया गया कि यहां से हम लोग कोरियर / बीमा पॉलिसी कराने के नाम पर विभिन्न लोगों को फोन करते हैं तथा अपने झांसे मे लेकर विभिन्न खातों मे ठगी की धनराशि मंगाते हैं। उक्त कार्य के लिये जो भी आमंदनी होती थी उसमे मुझे व मुकेश चौहान की 25-25 प्रतिशत व सोनू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र सिंह की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। सोनू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र सिंह अपने 50 प्रतिशत मे से 15 प्रतिशत विजय कश्यप को देता था जो फ्रॉड हेतु बैक एकाउन्ट उपलब्ध कराता था। पिछले साल जुलाई में मैनें व मुकेश चौहान ने प्रभाष चौधरी को फोन करके बताया कि हम बीमा लोकपाल से बोल रहे है आपके नाम पर एक कोरियर प्राप्त हुआ है जिसका स्टाम्प शुल्क नही है जिस कारण से कोरियर को वापस भेज दिया जायेगा। अतः आप स्टाम्प शुल्क 80000/- रूपये जमा कर अपना कोरियर प्राप्त कर सकते है यह राशि रिफण्डेबल रहेगी, जिसका भुगतान आपको बाद मे कर दिया जायेगा। इस प्रकार हम लोगों ने प्रभाष चौधरी को झांसे मे लेकर 50000/- व 30000/- रूपये अलग-अलग खाते मे जमा करा लिये। पुनः पांच दिन बाद हम लोगों ने प्रभाष चौधरी को फोन कर उनका हाल चाल लेते हुऐ उनसे कहा कि बीमा के अतिरिक्त भी हम लोग आपके परिवार के लिये कुछ करना चाहते है सरकार का कुछ फण्ड है जिस पर आपको अच्छा रिफण्ड मिलेगा इस प्रकार उनको झांसे मे लेकर पुनः 500000/- रूपये जमा करा लिये। इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले एक वर्ष मे विभिन्न प्रकार से झांसा देकर जैसे दस्तावेज पूर्ण न होना, पैसे रिलीज करने के नाम आदि पर कुल 1.65 करोड रूपये अलग-अलग खातों मे जमा करा लिये। **अभियुक्त विजय कश्यप** ने बताया कि वह चाट की दुकान लगाता था कोरोना के समय मे दुकान बन्द हो जाने के कारण एलईडी टीवी की सप्लाई करने लगा। वर्ष 2021 मे सोनू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र सिंह उसकी दुकान पर टीवी लेने आया जिसके साथ गौरव दुआ भी था। इससे पहले चाट बेचने के दौरान धर्मेन्द्र सिंह उसकी दुकान पर चाट खाने आता था। इस प्रकार उसकी उससे जान-पहचान हो गयी थी। टीवी सप्लाई के कार्य मे ज्यादा प्रोफिट न होने के कारण जब उसने सोनू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र से अन्य कार्य के लिये बात किया तो उसने उसको कमिशन पर बैक खाता उपलब्ध कराने के लिये कहा, पहले तो वह फेसबुक के माध्यम से बैक एकाउन्ट लेकर उसको उपलब्ध करा देता था उसके बाद उसने दिनेश कुमार से एकाउन्ट लेकर सोनू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र सिंह को उपलब्द करा देता था जिसके लिये वह उसे खाते में आयी धनराशि का 15 प्रतिशत हिस्सेदारी देता था। उक्त 15 प्रतिशत को वह व दिनेश आपस मे बांट लेते थे। **अभियुक्त दिनेश** ने पुछताछ मे बताया कि वह बी0ए0एल0एल0बी0 मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड से किया है एवं विजय कश्यप के चाट की दुकान पर अक्सर जाता था जिससे उसकी दोस्ती विजय कश्यप से हो गयी उसके बाद उन लोगों की आपस में बात होती रहती थी। बातचीत के दौरान विजय कश्यप ने उससे कहा कि यदि तुम मुझे बैक एकाउन्ट प्रदान कराते हो तो मैं उसके एवज मे तुमको कुछ कमिशन दूंगा। जिसके बाद उसके द्वारा मुदित त्यागी का चालू खाता खुलवाकर विजय कश्यप को दिया गया तथा वर्तमान मे उत्तराखण्ड के साइबर फ्राड के केस मे मुदित त्यागी मेरठ जेल मे बन्द है। उसके बाद वह फरीदाबाद, मेरठ, आदि जगहो पर जहां पर कन्ट्रकशन का कार्य चल रहा होता था वहां के मजदुरो को पैसो का लालच देकर उनके नाम का खाता खुलवाकर वह उस खाते को विजय कश्यप को दे देता था। मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये खातो मे फ्रॉड की जितनी धनराशि आती थी उसको मैं ए0टी0एम0 से निकालकर विजय कश्यप को दे देता था। उक्त धनराशि को विजय कश्यप, सोनू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र सिंह को दे देता था, जिसमे से सोनू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र सिंह हम लोगों को 15 प्रतिशत देता था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः</u>-

1) गौरव दुआ पुत्र हरीश दुआ पता कस्बा व थाना धामपुर जिला बिजनौर हाल पता सुपरटेक इको विलेज ।। नियर एक मूर्ति थाना बिसरख नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2) विजय कश्यप पुत्र दिवारी लाल कश्याप पता गांव नरेटी तह0/थाना पटियाली जिला एटा हाल पता गली न0 5 छलेरा से044 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
3) दिनेश कुमार पुत्र महिपाल निवासी ग्राम कैथरा पोस्ट कहिरा, थाना चोला, जनपद बुलन्दशहर, हाल पता-वैष्नो एन्क्लेव, चाँदपुर, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर।

<u>अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरणः</u>-

1) 27 ए.टी.एम कार्ड/क्रेडिट कार्ड भिन्न- भिन्न बैकों के।
2) 01 DELL कम्पनी का लैपटॉप
3) 06 मोबाइल भिन्न-भिन्न कम्पनी के।
4) क्रेटा कार रंग सफेद
5) टिगोर कार रंग सफेद
6) 02 चैक बुक
7) नगद 2 लाख रूपये।

<u>अपराधिक इतिहास</u>-

दिनेश कुमार के विरूद्ध उत्तरांखण्ड मे दो अभियोग व गाजियाबाद मे एक अभियोग पंजीकृत है।
मुदित त्यागी के विरूद्ध उत्तरांखण्ड मे दो अभियोग व गाजियाबाद मे एक अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

साइबर सेल पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।
थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।